न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 27/2023

प्रार्थी

मोवनी देवी पत्नी मुलाराम जी, जाति– रावल, निवासी– कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, कैलाशनगर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही
2. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री जगदीशजी, जाति–अग्रवाल, निवासी– बडा मंदिर छावणी, शिवगंज, तहसील–शिवगंज जिला सिरोही (राज.)।
3. किरण कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण जी, जाति–रावल, निवासी–कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही (राज.)

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 20 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी शकुन्तला देवी पत्नी जगदीश जी, जाति– अग्रवाल के पक्ष में क्षेत्रफल 1903 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 01–10–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुये व न ही इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 18–6–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (शकुन्तला देवी) के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 01 दिनांक 01–10–2021 को जारी किया गया है, जिसमें अंकित चतुर्दशी उत्तर में जितेश मोटाजी रावल का मकान, दक्षिण में दरवाजा व आम रास्ता, पूर्व में गली व दरवाजा व भरत रावल का मकान व पश्चिम दिलीप कुमार अम्बालालजी जैन का मकान है व नाप उत्तर में 28 फीट, दक्षिण में 47 फीट, पूर्व में 62 फीट व पश्चिम में 41 फीट है। जबकि उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 01 दिनांक 01–10–2021 में अंकित चतुर्दशी व नाप की भूमि के मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 (शकुन्तला देवी) का न तो कभी भी कब्जा रहा है व न ही मौके पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ रहा है एवं न ही कोई आवासीय मकान रहा है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

के तहत 50 वर्ष से अधिक पुराना मकान बना हुआ है तो ही पट्टा जारी किया जा सकता है। जबकि उक्त पट्टे से संबंधित भूमि मौके पर खाली भूखण्ड़ है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने अप्रार्थी शकुन्तला देवी को अनुचित फायदा पॅहुचाने की नियत से खाली भूखण्ड़ का रियायती दर पर पट्टा जारी किया है, जो नियम विरुद्ध है। उक्त पट्टा, दिनांक 01.10.2021 को जारी किया गया और उसी दिन उस पट्टे का विक्रय अप्रार्थी संख्या 2 (शकुन्तला देवी) द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (किरण कुमार) को किया गया। इससे यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा बेशकिमती जमीन को हड़पने की नियत से अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खाली भूखण्ड़ का पट्टा जारी करवाया है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 01.10.2021 को उसी दिन उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 3 को पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय कर दिया है। इस विक्रय विलेख में उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि को प्लॉट (भूखण्ड़) दर्शाया है, इससे यह पूर्णतया साबित है कि जिस दिन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी किया गया था उस समय उस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं था व केवल प्लोट के रूप में मौजूद था तथा विक्रय विलेख के समय किसी अन्य कच्चे मकान का फोटो चस्पा कर गलत तथ्य प्रस्तुत कर विक्रय विलेख का निष्पादन किया है, विक्रय विलेख का निष्पादन करवाने के पश्चात् ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 3 ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 3 के भूखण्ड पर उसके पूर्व दिशा में भरत रावल ने अतिक्रमण किया है। जबकि भरत रावल का पुराना पक्का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार यदि भरत रावल द्वारा पक्के मकान निर्माण कर अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टे की भूमि पर अतिक्रमण किया है तो भी यह पूर्णतया साबित है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त नियम 157(1) के तहत् खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, जबकि नियम 157 (1) के तहत् खाली भूखण्ड का पट्टा जारी करने का प्रावधान नही है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मौके पर आकर उक्त पट्टे की आड़ मे प्रार्थीया के पुश्तैनी नोहरे पर अतिक्रमण कर दिवार को तोड़ दिया, तब प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से इस बाबत् पुछताछ की तो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा बताया गया कि प्रार्थीया के पुश्तैनी नोहरे की भूमि का भी पट्टा जारी किया है। जबकि ग्राम पंचायत को प्रार्थीया के पुश्तैनी मकान व नोहरे का पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं था। प्रार्थीया के नोहरे के पास में जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी करवाया हुआ है उस भूमि का पट्टा पूर्व में ही जगदीश प्रसाद पुत्र बिहारीलाल अग्रवाल के नाम से जारी किया हुआ है, लेकिन जब प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से उक्त पट्टे बाबत् जानकारी चाही गई तो ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने अप्रार्थी संख्या 3 के प्रभाव में होने के कारण कोई दस्तावेज प्रार्थीया को प्रदान नहीं किये। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा उक्त पट्टे में चतुदर्शी भी गलत अंकित की हुई है क्योंकि इस भूखण्ड के पूर्व दिशा में कभी कोई गली या दरवाजा नहीं रहा है, बल्कि प्रार्थीया के मकान के पीछे वाले हिस्से में पानी निकलने के लिए प्रार्थीया ने अपने हक हिस्से की भूमि में से जगह छोडी हुई थी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने मिलीभगत कर उस भूमि का भी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 को रियायती दर से जारी किया है, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 141 के तहत् भूमि का विक्रय निलामी के जरिये किया जाना आज्ञापक है एवं इस भूमि पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा या स्वामित्व नहीं रहा है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किये गये उक्त पट्टे को देखने मात्र से स्पष्ट हो रहा है कि इस पट्टे को जारी करने की मिसल दिनांक 05.12.2020 को संधारित की गई थी परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा लगभग 01 साल बाद दिनांक 01.10.2021 को जारी किया है क्योंकि तत्कालीन सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पुरानी बैठक रजिस्ट्रो में बैक डेट में

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय * सिरोही *

प्रस्ताव लेकर उक्त पट्टा जारी किया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया है एवं न ही किसी भी प्रकार के कोई नोटिस जारी किये गये है तथा विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना भी नहीं की गई। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 1903 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 (शकुंतला देवी) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 01—10—2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 01.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 (श्रीमति शकुन्तला देवी) के हक में पट्टा संख्या 01 दायर दिनांक 05.12.2020 मिसल संख्या 1 बुक नम्बर 57 जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों व प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है एवं पट्टे में दर्ज नाप व चतुर्दशी मौके की स्थिति अनुसार सही अंकित की गई है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पुराने गृह का विनियमितिकरण, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत् करते हुए विधिवत् पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी भी तरह की कोई अनियमितता नही हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 (शकुन्तला देवी) की उम्र करीब 80 वर्ष है एवं अप्रार्थी संख्या 2 (शकुन्तला देवी) का पुराना आवासीय मकान मौके पर होने से बाद जांच ग्राम पंचायत कैलाशनगर द्वारा प्रश्नगत पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। अप्रार्थी श्रीमति शकुन्तला देवी ने ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में उपस्थित होकर स्वयं के पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करवाये जाने हेतु एक आवेदन दिनांक 18.06.2018 को प्रस्तुत किया था, जो आवेदन पत्र श्रीमति शकुन्तला देवी ने स्वयं के हस्ताक्षरित व फोटोयुक्त नोटेरी से तस्दीकशुदा प्रस्तुत किया था। श्रीमति शकुन्तला देवी ने अपने पुश्तैनी आवासीय मकान के आवेदन के साथ एक तस्दीकशुदा शपथपत्र इस आशय का भी प्रस्तुत किया था। श्रीमति शकुन्तला देवी के आवेदन पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा उसके आवासीय मकान का मौके का भौतिक रूप से निरीक्षण कर नक्शा मय मौका फर्द बनायी गयी थी। जो मौका रिपोर्ट एवम् नजरी नक्शा निरीक्षण का, सचिव द्वारा दिनांक 21.12.2020 को पंचायत कार्यालय में पेश की गयी, जिसकी आदेशिका भी दिनांक 21.12.2020 को लिखी गयी थी। जिसके पश्चात् दिनांक 21.10.2020 को आम नोटिस जारी कर आपत्तियां आमत्रित की गयी थी एवम् दो स्वतंत्र गवाह् नटवरलाल व ओबाराम के बयान दिनांक 20.5.2021 को लिखे जाकर पंचायत की मिसल पत्रावली में संलग्न किये गये। इसी तरह दिनांक 19.07.2021 की पंचायत साधारण बैठक में श्रीमति शकुन्तला की पट्टा मिसल संख्या 01 बाबत् प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा पत्रावली निर्णित कर पट्टा विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया है एवं इस प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 19.07.2021 की अनुपालना में दिनांक 01.10.2021 को ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी श्रीमति शकुन्तला देवी को पट्टा विलेख संख्या 01 दिनांक 01—10—2021 को जारी कर सुपुर्द किया गया था। चूंकि प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 19.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 की पट्टा जारी करने बाबत् पत्रावली निर्णित की जा चुकी थी, इसके बाद अप्रार्थी श्रीमति शकुन्तला देवी ने मौके पर पुराना जर्जर मकान गिराकर अपनी पारिवारिक जरूरतों के लिये उक्त आवासीय पट्टेशुदा भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 3 (किरण कुमार) के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख से उसी रोज कर मौके पर पट्टेशुदा आवासीय भूमि का कब्जा उसे सुपुर्द कर दिया है एवं उसके बाद क्रेता अप्रार्थी संख्या 3 (किरण कुमार) ने स्वयं के क्रयशुदा आवासीय भुखण्ड पर नयेसर मकान निर्माण करवाने हेतु एन.ओ.सी. के लिये ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में आवेदन कर दिनांक

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

06.06.2022 को निर्माण स्वीकृति प्राप्त की एवं मौके पर आवासीय मकान निर्मित किया है। यह कि श्री भरत कुमार रावल पुत्र श्री गलबाजी रावल, निवासी—कैलाशनगर ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत कैलाशनगर के विरूद्ध एक निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो पंचायत निगरानी संख्या 23/2023 दर्ज होकर बाद सुनवाई पक्षकार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05—4—2023 को खारिज किया गया है। इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 05.04.2023 अनुसार भी यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 3 (किरण कुमार) द्वारा स्वयं के खरीदशुदा भुखण्ड पर नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर नयेसर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसकी पत्रावली में भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि पुराना जर्जर मकान गिराया जाकर आवासीय पट्टेशुदा भूमि का पंजीकृत दस्तावेज किरण कुमार के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 (श्रीमति शकुन्तला देवी) द्वारा निष्पादित कर पंजीकृत करवाया गया है। भरत कुमार रावल व किरण कुमार के आपसी सामाजिक सम्बन्ध खराब होने से एवम् दोनों के बीच सम्पति को लेकर आपराधिक व सिविल/निगरानी कार्यवाहीयाँ होने से उसके द्वारा प्रार्थीयां श्रीमति मोवनी देवी रावल को आगे कर उसके नाम से झुठे व मनगंढत गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करवाया है, जो विधि अनुसार परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीया मोवनी देवी ने न तो जगदीश प्रसाद को इस निगरानी आवेदन में बतौर पक्षकार जोडा है एवं न ही जगदीश कुमार द्वारा कोई निगरानी आवेदन ही प्रस्तुत हुआ है तथा न ही जगदीश कुमार के नाम से किसी तरह का कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रार्थीया मोवनी देवी द्वारा प्रस्तुत ही किया गया है। प्रार्थीया मोवनी देवी का प्रश्नगत पट्टे की आवासीय भूमि कोई हित निहित नही है एवं उसकी कोई Locus Standi नही है। अप्रार्थी शकुन्तला देवी वृद्ध महिला है एवं अप्रार्थी शकुन्तला देवी, मूल रुप से ग्राम कैलाशनगर की निवासी है तथा उसका पुराना आवासीय मकान ग्राम कैलाशनगर में उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर बना हुआ था, जिसका ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा विधि अनुरुप विनियमितिकरण करते हुए पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीया वर्तमान में शिवगंज शहर में निवास करती है, इस कारण से उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख में अप्रार्थी शकुन्तला देवी का निवास व पता शिवगंज शहर का अंकित किया है। अप्रार्थी शकुन्तला देवी के शिवगंज शहर के निवास स्थान का पता उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख में अंकित करने से अप्रार्थी शकुन्तला देवी के उसके ग्राम कैलाशनगर में स्थित सम्पति पर हक अधिकारों में कोई प्रभाव नही पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 2 (श्रीमति शकुन्तला देवी) द्वारा स्वयं के स्वामित्व की आवासीय सम्पति का विक्रय अप्रार्थी संख्या 3 (किरण कुमार राव) के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 477 दिनांक 01—10—2021 से किया गया है, जो नियमानुसार है। प्रार्थीया ने इस निगरानी आवेदन में उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख को प्रश्नगत नही किया है तथा प्रार्थीया द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना किसी प्रकार से कोई अनुतेष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी शकुंतला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जी, जाति— अग्रवाल निवासी— कैलाशनगर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1903 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 01 दिनांक 01—10—2021 को जारी किया गया है। "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत,

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 01 दिनांक 01–10–2021 में अंकित चतुर्दशी व नाप की भूमि के मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 (शकुन्तला देवी) का न तो कभी भी कब्जा रहा है व न ही मौके पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ रहा है एवं न ही कोई आवासीय मकान रहा है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत 50 वर्ष से अधिक पुराना मकान बना हुआ है तो ही पट्टा जारी किया जा सकता है। जबकि उक्त पट्टे से संबंधित भूमि मौके पर खाली भूखण्ड़ है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने अप्रार्थी शकुन्तला देवी को अनुचित फायदा पॅहुचाने की नियत से खाली भूखण्ड़ का रियायती दर पर पट्टा जारी किया है, जो नियम विरुद्ध है।" जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पुराने गृह का विनियमितिकरण, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत् करते हुए विधिवत् पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी भी तरह की कोई अनियमितता नही हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 (शकुन्तला देवी) की उम्र करीब 80 वर्ष है एवं अप्रार्थी संख्या 2 (शकुन्तला देवी) का पुराना आवासीय मकान मौके पर होने से बाद जांच ग्राम पंचायत कैलाशनगर द्वारा प्रश्नगत पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है।" अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का यह भी कथन है कि "अप्रार्थी श्रीमति शकुन्तला देवी ने मौके पर पुराना जर्जर मकान गिराकर अपनी पारिवारिक जरूरतों के लिये उक्त आवासीय पट्टेशुदा भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 3 (किरण कुमार) के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख से उसी रोज कर मौके पर पट्टेशुदा आवासीय भूमि का कब्जा उसे सुपुर्द कर दिया है एवं उसके बाद क्रेता अप्रार्थी संख्या 3 (किरण कुमार) ने स्वयं के क्रयशुदा आवासीय भुखण्ड पर नयेसर मकान निर्माण करवाने हेतु एन.ओ.सी. के लिये ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में आवेदन कर दिनांक 06.06.2022 को निर्माण स्वीकृति प्राप्त की एवं मौके पर आवासीय मकान निर्मित किया है।

प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में अप्रार्थी शकुन्तला देवी पत्नी जगदीश जी अग्रवाल द्वारा अप्रार्थी किरण कुमार पुत्र लक्ष्मण जी रावल के पक्ष में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी शकुन्तला देवी के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 01 दिनांक 01–10–2021 की भूमि के संबंध मे निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख क्रम संख्या 202103326100477 दिनांक 01–10–2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इस पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01–10–2021 में पृष्ठ संख्या 3 के पद संख्या 2 में यह में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया हुआ है कि "भूखण्ड़ मौके पर केलू पोश का निर्माण किया हुआ है, जो 50 वर्ष पूर्व का निर्माण किया हुआ है, उक्त मकान

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

जर्जर अवस्था में है।'' इससे यह साबित होता है कि उक्त पट्टा संख्या 01 दिनांक 01–10–2021 की भूमि के मौके पर पट्टा जारी करने के समय पुराना केलूपोश मकान बना हुआ था, जो जर्जर अवस्था में था।

चूंकि प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी शकुन्तला देवी के पक्ष में उक्त पट्टा जारी करने के समय मौके पर पुराना आवासीय गृह बना हुआ नही हो। प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी शकुन्तला देवी को खाली भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया हो। प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन में यह भी स्पष्ट नही किया है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि में उसके किस प्रकार से व क्या हित निहित है। इस प्रकार, प्रकरण में प्रार्थी की कोई Locus standi भी नही पाई जाती है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीया का निगरानी आवेदन सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही